[भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग-II, खंड -3, उपखंड-(ii) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 15, मार्च 2019

अधिसूचना संख्या 22/2019-कस्टम (गै.टे.)

क.आ. (अ).- सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 7 की उप-धारा (1), के उपवाक्य (ख) और (ग) के तहत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर सीमाशुल्क बोर्ड, एतद द्वारा भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 63/1994- सीमाशुल्क (गै.टे.), दिनांक 21 नवम्बर 1994, जिसे क.आ. 830 (अ), दिनांक 21 नवम्बर 1994 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, में प्रकाशित किया गया था में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करता है :-

उक्त अधिसूचना में-

(क) प्रारंभिक पैरा में, 11वें परन्तुक के पश्चात, निम्नलिखित परन्तुक को प्रतिस्थापित किया जाएगा :-

“बशर्ते यह भी कि डेरा बाबा नानक को सामान की निकासी के उद्देश्य से भू-सीमाशुल्क स्टेशन के रूप में नियत किया गया हो"

(ख) तालिका में, प्रविष्टि संख्या 7 के समक्ष जो कि पाकिस्तान के लैंड फ्रंटियर से संबंधित है, कॉलम (3) में मद(11) के पश्चात और इसके सिवाय कॉलम (4) में इसी प्रकार की प्रविष्टि की गई है, निम्नलिखित प्रविष्टियों को क्रमश कॉलम (3 और 4) में अंत स्थापित किया जाएगा :-

(1)	(2)	(3)	(4)
		“(12) डेरा बाबा नानक, जिला गुरुदासपुर, पंजाब	भारत के पंजाब राज्य के जिला गुरुदासपुर से डेरा बाबा नानक को पाकिस्तान के करतारपुर से जोड़ने वाली सड़क"

[फा.सं. 558/01/2019-एलसी]

(डॉ. श्रीपार्वती एस.एल.)
अवर सचिव भारत सरकार

नोट:- प्रधान अधिसूचना का.आ. 830 (अ), दिनांक 21 नवम्बर 1994 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 19/2019-सीमाशुल्क (गै.टे.), दिनांक 1 मार्च 2019, भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया गया था जिसे का.आ. 1115(अ), दिनांक 1 मार्च 2019 के तहत, के द्वारा संशोधन किया गया है ।